संख्या-१११/२०१६/एम-93/बावन-1-2016-17(सा०)/2016

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

अल्पसंख्यक कल्याण,

उत्तर प्रदेश, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक २७ अक्टूबर, 2016

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-रामपुर में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज, रेवड़ीकला, राजकीय इण्टर कालेज, धमौरा मिलक, राजकीय इण्टर कालेज, मनुनगर बिलासपुर, राजकीय इण्टर कालेज, टांडा बादली एवं राजकीय इण्टर कालेज, सैजनी नानकार की अतिरिक्त इकाई लागत की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-2019/52-1-11-6(एम०एस०डी०पी०)/11, दिनांक 12.9.2011 के माध्यम से राजकीय इण्टर कालेज, रेवड़ीकला, राजकीय इण्टर कालेज, धमौरा मिलक, राजकीय इण्टर कालेज, मनुनगर बिलासपुर एवं राजकीय इण्टर कालेज, टांडा बादली के बारे में रू० 199.45 लाख की इकाई लागत स्वीकृत करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी । इसी प्रकार जनपद-रामपुर में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज, सैजनी नानकार के निर्माण के बारे में रू० 315.00 लाख इकाई लागत निर्धारित करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि शासनादेश संख्या-जी०आई० 36/52-1-2014-1(113)/13, दिनांक 04.03.2014 के माध्यम से अवमुक्त की गयी थी ।

2- उपर्युक्त राजकीय इण्टर कालेजों के बारे में लागतवृद्धि का प्रस्ताव कार्यदायी संस्था-कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ के माध्यम से प्राप्त हुआ था जिसके परीक्षणोपरान्त पी०एफ०ए०डी० द्वारा निम्नवत् इकाई लागत की संस्तुति की गयी है :-

(रू० लाख में)

क्र०	परियोजना	स्वीकृत इकाई लागत	पी०एफ०ए०डी० द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित इकाई लागत	अतिरिक्त लागत
1	राजकीय इण्टर कालेज, रेवड़ीकला	199.45	265.03	65.58
2	राजकीय इण्टर कालेज, धमौरा मिलक	199.45	222.40	22.95

http://sfasanadesh.up.nic.in

3	राजकीय इण्टर कालेज, मनुनगर बिलासपुर	199.45	217.31	17.86
4	राजकीय इण्टर कालेज, टांडा बादली	199.45	217.41	17.96
5	राजकीय इण्टर कालेज, सैजनी नानकार	315.00	401.82	86.82
	योग	**1112.80**	**1323.97**	**211.17**

3- अत: उपरोक्त 05 राजकीय इण्टर कालेजों की अतिरिक्त इकाई लागत की धनराशि रू० 211.17 लाख (रू0 दो करोड़ ग्यारह लाख सत्तरह हजार मात्र) वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित बजट एवं संलग्न पुनर्विनियोग के माध्यम से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त की जा रही धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जाय। धनराशि के व्यय में वित्तीय नियमों का पालन किया जायेगा।

2- अवमुक्त धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को हस्तान्तरित की जायेगी। प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण को 06 माह में गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार पूर्ण किया जायेगा। यदि इस मद में लागतवृद्धि की कोई अतिरिक्त धनराशि भविष्य में नहीं दी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उपरोक्त धनराशि के माध्यम से ही प्रश्नगत निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा । निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 एवं कार्यदायी संस्था के निदेशक के मध्य इस आशय का एम0ओ0यू0 (मेमोरेण्डम आफ अण्डर टेकिंग) भी हस्ताक्षरित किया जायेगा।

3- प्रश्नगत निर्माण कार्य समस्त वैधानिक अनातियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही कराया जायेगा ।

4- निर्माण के समय मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी का होगा ।

5- प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण प्रारम्भ कराया जायेगा।

6- जिलाधिकारी, रामपुर एवं कार्यदायी संस्था द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रायोजना पूर्व में किसी अन्य योजना से न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0109-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत राजकीय हाई स्कूल एवं इण्टर कालेजों का भवन निर्माण/अतिरिक्त कक्षा-कक्षों/जर्जर भवनों का निर्माण (के0 75/रा0 25-के0+रा0)-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा। यह धनराशि लेखा शीर्षक "4235-सामाजिक सुरक्षा**

तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-समाज कल्याण-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0101-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टी सेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान के अन्तर्गत अवस्थापना सुविधाओं का विकास (के0-100 प्रतिशत)-24-वृहत् निर्माण कार्य" मद में प्राविधानित धनराशि से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी।

8- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया जा रहा है।

9- इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-2019/52-1-11-6(एम०एस०डी०पी०)/11, दिनांक 12.9.2011 एवं शासनादेश संख्या-जी०आई० 36/52-1-2014-1(113)/13, दिनांक 04.03.2014 द्वारा अधिरोपित शर्तें यथावत् रहेंगी ।

संलग्नक- प्रपत्र बी0एम0-9

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या- एम० 93 (1)/बावन-1-2016-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- संयुक्त सचिव, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय भारत सरकार 11वां तल, पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली।
5- प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
6- निजी सचिव, मा0मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज को मा0मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
7- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
8- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।

UniCode Gov. Inter College. G.O

http://shasanadesh.up.nic.in

9- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत राजकीय इण्टर कालेज, रेवड़ीकला, राजकीय इण्टर कालेज, धमौरा मिलक, राजकीय इण्टर कालेज, मनुनगर बिलासपुर, राजकीय इण्टर कालेज, टांडा बादली एवं राजकीय इण्टर कालेज, सैजनी नानकार का निर्माण समयान्तर्गत एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

10- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

11- जिलाधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, रामपुर ।

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को तीन स्वच्छ प्रति तथा वित्त-ई-11 को 01 प्रति।

13- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 अरिवन्द कुमार चौरसिया)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in